राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2300/2023

सुमित्रा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू।
4. कार्यालय जिला शिक्षा (माध्यमिक), झुंझुनू, जिला झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.09.2023
आदेश की दिनांक : 06.12.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री तनवीर अहमद एवं श्री सलीम खान अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर दिनांक 01.04.2022 के अनुसार अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य थी और इस प्रकार उसके नाम पर प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे तथा दिनांक 01.04.2022 से उसे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे और समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 05.09.1985 को हुई थी और उसे दिनांक 08.08.2009 को अध्यापक ग्रेड द्वितीय एवं दिनांक 15.09.2015 को व्याख्याता

के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। डीपीसी वर्ष 2022–23 में अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य थी और उक्त डीपीसी वर्ष में प्रधानाचार्य के 7080 पद रिक्त थे, जिनकी सूचना आरटीआई के अंतर्गत दिनांक 23.05.2023 को प्राप्त हुई, जिसमें 7080 पद प्रधानाचार्य के डीपीसी वर्ष 2022–23 के लिये रिक्त थे। उनका कथन है कि अपीलार्थी की वरिष्ठता क्रमांक 8873 है और 3340 तक अभ्यर्थी पूर्व में ही पदोन्नत किये जा चुके हैं, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 4818 पर रैंक संख्या 8873 है, जो अनुलग्नक–2 से स्पष्ट है और इस प्रकार अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी है। अपीलार्थी दिनांक 31.05.2022 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गई। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त डीपीसी वर्ष के लिये प्रधानाचार्य के पद पर अपीलार्थी की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जा रहा है और डीपीसी वर्ष 2022–23 तक उप प्रधानाचार्य के कोई पद अस्तित्व में नहीं थे और इस प्रकार दिनांक 01.04.2022 के अनुसार उप प्रधानाचार्य के कोई पद उपलब्ध नहीं थे। जबकि उप प्रधानाचार्य के पद माह अगस्त, 2022 में सृजित किये गये और इस प्रकार अभ्यर्थियों को उप प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक 04.08.2022 से पदोन्नति दी गई और जो अभ्यर्थी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के कारण वे उप प्रधानाचार्य के पद पर योग्य नहीं पाये गये, जिनकी सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम भी क्रम संख्या 173 पर अंकित किया गया, के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यर्थिता पर उप प्रधानाचार्य के पद के लिये विचार नहीं किया गया और अपीलार्थी दिनांक 31.05.2022 को उप प्रधानाचार्य के पद की रिक्तियों के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गई और दूसरी तरफ अपीलार्थी की अभ्यर्थिता पर प्रत्यर्थी विभाग विचार नहीं कर रहा है जबकि अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद के लिये दिनांक 01.04.2022 को अस्तित्व में थी। माननीय अधिकरण द्वारा डॉ. एम.एल.परिहार में यह निर्णय पारित किया है कि अधिवार्षिकी से कार्मिक के सेवा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं हो सकता और डीपीसी आयोजित नहीं करना या विलम्ब से आयोजित करना विभाग की ओर से गलती है और इस प्रकार कार्मिक को पदोन्नति आदि लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। जबकि वर्तमान मामले में दिनांक 01.04.2022 को अपीलार्थी राजकीय सेवा में कार्यरत थी और उसने दिनांक 31.05.2022 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त की है। इस

प्रकार दिनांक 01.04.2022 को प्रधानाचार्य के पद अस्तित्व में थे और अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति पाने की हकदार है। परंतु उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 17.07.2023 को प्रेषित करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर दिनांक 01.04.2022 के अनुसार अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य थी और इस प्रकार उसके नाम पर प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे तथा दिनांक 01.04.2022 से उसे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे और समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध प्राध्यापक पद पर चयनित किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2015–16 से वरिष्ठता प्राप्त करने के अधिकारी हैं और वरिष्ठता क्रमांक 3994 अवधि वर्ष 2015–16 है। राज्य सरकार कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 26.07.2021 के द्वारा राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 लागू किये गये और अधिसूचना दिनांक 28.04.2022 के द्वारा वर्णित नियमों में द्वितीय संशोधन के माध्यम से अमेंडमेंट शेड्यूल प्रथम लागू किया गया और प्रधानाचार्य के पद को 100 प्रतिशत उप प्रधानाचार्य के पद से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान लागू किया गया। साथ ही उप प्रधानाचार्य पद का 3 वर्ष का अनुभव भी वांछनीय किया गया और 20 प्रतिशत पद प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय पद से भरे जाने तथा 80 प्रतिशत पद प्राध्यापक पद से भरे जाने का प्रावधान किया गया और इस प्रकार प्रधानाचार्य पद हेतु वर्ष 2022–23 की डीपीसी हेतु उप प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र थे। विदित नियमों से सम्पन्न अंतिम डीपीसी वर्ष 2021–22 की डीपीसी बैठक दिनांक 05.07.2022 को की गई तथा उक्त डीपीसी के चयन आदेश दिनांक 11.07.2022 को जारी की गई। उक्त वर्ष 2021–22 की डीपीसी में व्याख्याता पद की अंतिम चयनित कार्मिक का वरिष्ठता क्रमांक 1376 अवधि वर्ष 2013–14 है। जबकि अपीलार्थी का वरिष्ठता क्रमांक 3994 अवधि वर्ष 2015–16 है। वरिष्ठतानुसार वर्ष 2021–22 में अपीलार्थी पदोन्नति की पात्र नहीं थी और वर्ष 2022–23 की डीपीसी में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु उप प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत अभ्यर्थी

ही पात्र हैं, परंतु अपीलार्थी उप प्रधानाचार्य के पद पर चयन से पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गई और इस कारण वर्ष 2022–23 की डीपीसी में अपीलार्थी के संबंध में विचार किया जाना संभव नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 05.09.1985 को हुई थी और उसे दिनांक 08.08.2009 को अध्यापक ग्रेड द्वितीय एवं दिनांक 15.09.2015 को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। डीपीसी वर्ष 2022–23 में अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य थी और उक्त डीपीसी वर्ष में प्रधानाचार्य के 7080 पद रिक्त थे, जिनकी सूचना आरटीआई के अंतर्गत दिनांक 23.05.2023 को प्राप्त हुई, जिसमें 7080 पद प्रधानाचार्य के डीपीसी वर्ष 2022–23 के लिये रिक्त थे। अपीलार्थी की वरिष्ठता क्रमांक 8873 है और 3340 तक अभ्यर्थी पूर्व में ही पदोन्नत किये जा चुके हैं, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 4818 पर रैंक संख्या 8873 है, जो अनुलग्नक–2 से स्पष्ट है और इस प्रकार अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी है। अपीलार्थी दिनांक 31.05.2022 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गई। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त डीपीसी वर्ष के लिये प्रधानाचार्य के पद पर अपीलार्थी की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जा रहा है। जहां तक अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि उप प्रधानाचार्य का पद विभाग में आदेश दिनांक 04.08.2022 के द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, परंतु हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध प्रधानाचार्य/प्राचार्य के पद पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा डीपीसी नहीं की गई। संशोधित कार्यक्रम दिनांक 08.10.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के संयुक्त निदेशक कार्मिक द्वारा जारी किया गया है, जिसमें प्राचार्य पद की वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 की डीपीसी उपरांत चयन संबंधी विभागीय आदेश दिनांक 05.07.2022 तथा दिनांक 31.03.2023 जारी किया गया है और आदेश दिनांक 09.10.2024 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राचार्य की वर्ष 2021–22 तथा वर्ष 2022–23 की डीपीसी उपरांत बंद लिफाफा चयन कार्मिकों की दिनांक 14.10.2024 से आयोज्य काउसिंलिंग के क्रम में सूची जारी की गई। इसी प्रकार कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 29.10.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं समकक्ष पद पर वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित डीपीसी की अनुशंषा के आधार पर प्रधानाचार्य (पे लेवल 16) में पदोन्नति पर पदस्थापित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध प्रधानाचार्य/प्राचार्य के पद पर डीपीसी नहीं की गई।

कार्यालय आदेश दिनांक 29.10.2024 के साथ संलग्न सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्रम संख्या 1 से 12 तक के कार्मिकों को उप प्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य के पद पर वर्ष 2022–23 के विरूद्ध पदोन्नति की गई है, जिनका चयन तिथि 29.04.2022, 01.07.2022, 01.08.2022 एवं 01.06.2022 (क्रमशः) दर्शायी गई है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग ने अपने लिखित जवाब में यह उल्लेख किया है कि विभाग में उप प्रधानाचार्य के पद स्वीकृति आदेश दिनांक 04.08.2022 के माध्यम से समाहित किये गये हैं। परंतु उक्त सूची में समस्त 1 से 12 कार्मिकों को उप प्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया जाना दर्शाया गया है। जबकि उप प्रधानाचार्य के पद उक्त चयन तिथि के समय विभाग में पद ही नहीं थे। इस प्रकार उक्त कार्मिकों को उप प्रधानाचार्य के पद से प्रधानाचार्य के पद पर रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध पदोन्नत किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ऐसा भी कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त कार्मिकों को उप प्रधानाचार्य के पद पर पूर्व में पदोन्नति प्रदान की गई हो। चूंकि उप प्रधानाचार्य के पद दिनांक 04.08.2022 को विभाग में समाहित किये गये हैं। इस प्रकार अपीलार्थी भी रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र थी, परंतु विभाग द्वारा उसके नाम पर प्रधानाचार्य के पद पर रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध कोई विचार नहीं किया गया और राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उसे उक्त लाभ से वंचित होना पडा। जबकि अपीलार्थी भी प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होने के आधार पर पदोन्नति का लाभ

प्राप्त करने की हकदार थी। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध जिस प्रकार अन्य कार्मिकों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है, अपीलार्थी को भी उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी आयोजित कर प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुये उसे काल्पनिक लाभ प्रदान कर समस्त पेंशन परिलाभ आदि का लाभ नियमानुसार प्रदान किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष